NATIONAL HUMAN RIGHTS COMMISSION

Deshbandhu, Delhi, 10/08/2026

Page No: 3, Size: 8.52cm × 14.47cm

एनएचआरसी का दिल्ली सरकार को नोटिस

नई दिल्ली। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) ने दिल्ली में ऐप आधारित कैब और ऑटो-रिक्शा द्वारा मनमाने और ज्यादा किराया वसूलने की शिकायत पर संज्ञान लिया है। आयोग ने दिल्ली सरकार को नोटिस जारी कर दो हफ्ते में रिपोर्ट मांगी है। एनएचआरसी के सदस्य प्रियांक कानूनगो की अध्यक्षता वाली बेंच ने दिल्ली सरकार के परिवहन विभाग को यह निर्देश दिया है। आयोग ने कहा है कि शिकायत में लगाए गए आरोप गंभीर हैं और इनकी जांच जरूरी है। आयोग के पास 29 जुलाई को एक शिकायत मिली थी। इसे 4 अगस्त को आयोग के सामने रखा गया। शिकायत में कहा गया कि दिल्ली में चलने वाले ऐप आधारित ऑटो और कैब कंपनियां सरकार द्वारा तय किराए से कहीं ज्यादा पैसा ले रही हैं।

Source: https://www.thehawk.in/news/india/nhrc-seeks-report-from-delhi-govt-on-alleged-overcharging-by-app-based-cabs-and-autos

NHRC seeks report from Delhi govt on alleged overcharging by app-based cabs and autos

NHRC Investigates Overcharging by App-Based Cab and Auto Services in Delhi
The Hawk Aug 09, 2026, 02:39 PM(Updated Aug 09, 2026, 05:27 PM)

New Delhi, Aug 9 (IANS) The National Human Rights Commission (NHRC) has issued a notice to the Delhi government over swirling allegations that the app-based cabs and auto-rickshaws are charging arbitrary and excessive fares from consumers, significantly higher than the fare structure as notified by the Transport Department.

The Delhi Government has been directed to inquire into the allegations and submit a report to the Commission within two weeks.

The Human Rights Commission has sought a factual report on whether app-based cab and auto aggregators are complying with the government-notified fare structure and whether commuters are being subjected to unjustified overcharging.

Speaking to IANS, NHRC member Priyank Kanoongo said: "We received a complaint that app-based auto and cab services, which are commonly used by citizens, are charging fares higher than the prescribed rates."

He mentioned that in every state, rates to be charged by taxis and auto-rickshaws are fixed by the Transport Department according to per kilometre.

Now if any app-based service is charging more than the prescribed rate, then it is definitely against the rights of citizens. When the government has fixed certain rates, just by being an app-based service they cannot charge more," he added.

Moreover, Kanoongo stated: "We are also sending a notice to the Union Ministry for Consumer Affairs mentioning that all app-based services should charge rates according to those fixed by the authorities of that state or region. More than the prescribed rate is injustice to citizens."

"We are hopeful for a positive report otherwise we will have to take stringent measures," he added.

In the month of May, truck, taxi, and auto-rickshaw drivers in the national capital had held a three-day strike demanding a revision in fares and relief from rising fuel prices and operational expenses.

Drivers participating in the protest had said that despite working for nearly 12 hours a day, they are struggling financially due to stagnant fares and the continuous increase in the prices of diesel, petrol, and CNG.

The strike was called off on the third day following positive discussions and assurances from the Delhi government.

--IANS

Source: https://www.tribuneindia.com/news/punjab/woman-dies-by-suicide-in-police-custody

Home / Punjab / Tarn Taran: Woman dies by suicide in police custody

Tarn Taran: Woman dies by suicide in police custody
Our Correspondent
Tarn Taran, Updated At : 08:04 AM Aug 10, 2026 IST

A woman arrested in a murder case allegedly died by suicide inside the toilet of the Bhikhiwind police station on Sunday morning, prompting a judicial inquiry into the custodial death.

The deceased, Rajbir Kaur of Kalsian Kalan, was arrested on Saturday in connection with an FIR registered on August 7 under multiple sections of the BNS. The police said she went to the toilet around 9 am on Sunday and was later found hanging. She was taken to a doctor, who declared her dead.

Following National Human Rights Commission guidelines, the Sessions Judge, Tarn Taran, deputed an officer to conduct a judicial inquiry, which has already begun, said SSP Tarn Taran Surinder Lamba. The post-mortem will be conducted on Monday in the presence of a magistrate.

Source: https://feminisminindia.com/2026/08/10/a-legal-lacuna-intercaste-marriages-and-honour-based-violence/

IntersectionalityCaste A Legal Lacuna: Intercaste Marriages And Honour-Based Violence

A Legal Lacuna: Intercaste Marriages And Honour-Based Violence

Love is not a crime. Until India legally recognises honour-based violence as a distinct crime, the right to choose a life partner remains a hollow and often fatal promise.

By Aparna Vats Aug 10, 2026 5 min read

A 17-year-old girl from Chhattisgarh's Koriya district was repeatedly raped and forcibly given abortion pills by community leaders because she married a man from another caste. The survivor belongs to the Gond community from the Khadgawan station area. The alleged perpetrators were leaders from her community and relatives who abducted her and then gang raped her. The survivor was five months pregnant at the time.

In a country where caste is so pervasive, crimes cannot be viewed in isolation. It is essential to analyse each case of brutality through the lens of 'honour' and prejudice. In this case, the survivor 'dared' to go beyond the accepted practice of endogamy and was 'punished' for it by her community.

While this is by no means the first case of honour-based violence, it nonetheless calls for an intersectional inquiry into honour-based sexual violence and the legal lacuna that the country faces.

The Chhattisgarh case
The incident took place in early July when the survivor's parents and members of her community tracked down her location and visited her at her in-laws' house. The survivor stated in her complaint to the police that she was handed over to two community leaders by her family members. The two men, Ramesh Tekam and his brother-in-law, Daroga Singh, then abducted her. They took her to their house in Surajpur district, where they confined her for a few days in an empty grocery store and repeatedly raped her. When they discovered that the survivor was five months pregnant, they forcibly made her consume abortifacient medication and even massaged her stomach in an attempt to forcibly abort the foetus.

It was when the survivor herself was sent to a medical store to procure more such medication that she managed to contact her husband. The police rescued her from confinement and arrested the duo under the Prevention of Children from Sexual Offences (POCSO) Act, 2012, and the Bharatiya Nyaya Sanhita (BNS), 2023. The accused were apprehended while in hiding and remanded to judicial custody.

The community's leaders took it upon themselves to 'right a wrong' that they considered a crime. It is reported that when the girl went missing a few months earlier, her family lodged a missing persons complaint but withdrew it after learning of her intercaste marriage. Even as the families had accepted the marriage, it remained unacceptable to the community leaders, who allegedly convinced the survivor's parents to pursue her, locate her, and hand her over to them because she deserved to be taught a 'lesson'.

Anathema to justice

In India, khap panchayats (caste councils) are known to act as kangaroo courts, illegally penalising individuals for violating conservative social norms. While this case is still being probed to determine whether there is a connection to khap panchayats, these self-styled councils have long been involved in financial extortion, public humiliation, and social ostracisation of individuals and families to 'punish' those who dare to transgress patriarchal and caste norms.

In fact, the National Human Rights Commission (NHRC) took cognisance of media reports alleging that khap panchayats in Haryana had issued orders in matters relating to marriages within the same caste (in several Indian communities, marriages do not take place within the same subcaste). In one case, a man was asked to divorce his wife because they belonged to the same subcaste. When the woman's family rejected the panchayat's diktat, they were asked to leave the village. In another case, a man faced the panchayat's wrath after he eloped with a woman from his own subcaste and married her. Despite a court order allowing the couple to cohabit, he was lynched by villagers in the presence of the police.

In 2022, a woman from Patha Veerapuram Dalitwada returned to her village following her intercaste marriage, which had been consented to by the elders of both families. However, village elders gathered at her home to institute an impromptu panchayat and passed a resolution ordering her family to pay INR 25,000, undertake development work at the local temple, or host a mass feast for the entire village as 'penance' for the violation of community norms. When she refused, a mob assaulted her, leading to her hospitalisation. The local police filed a criminal case against the mob.

The role of the police in these cases has often been limited to that of bystanders or documentarians. On the other hand, courts have also taken years to pronounce judgements in such cases of honour-based violence. The most glaring example of this is the Manoj-Babli case of 2007. Manoj and Babli eloped and married each other despite belonging to the same gotra (clan), a practice prohibited by local customs. The following month, the woman's relatives dragged the couple out of a Karnal-bound bus, and the newlyweds were murdered. Of the seven accused, five were given death sentences; all of them were relatives of Babli. The khap panchayat leader Ganga Ram was given a life sentence, while the driver, who was held guilty of kidnapping, was sentenced to seven years in jail. The court also ordered action to be taken against two policemen for laxity.

The right to choose

In Lata Singh v. State of Uttar Pradesh, the Supreme Court of India held, 'Once a person becomes a major, he or she can marry whosoever he/she likes', and that any threats or violence by parents or the community against a consensual intercaste or interfaith marriage are wholly illegal. Honour killing was held to be an 'outrage on humanity', and police personnel were directed to protect couples from harassment.

This laid the foundation for Shakti Vahini v. Union of India, where the Supreme Court ruled that any attempt by khap panchayats to interfere with a marriage between consenting adults is illegal. Arising from a Public Interest Litigation (PIL) filed by the NGO Shakti Vahini, a three-judge bench led by then Chief Justice Dipak Misra declared the right to choose a life partner as a fundamental right under Articles 19 and 21. The court observed that honour killings stem from a feudal perception of honour incompatible with the constitutional regime, holding that the consent of families or khap panchayats is not required for marriages and that the State must protect this right. The court also held that khap panchayats are illegal assemblies.

In the case of Asha Ranjan v. State of Bihar, the Supreme Court held that the choice of a woman's partner is a legitimate constitutional right under Article 19 and that a group of persons, in the name of 'class honour', cannot curtail such a right. In effect, the freedoms of association and privacy were read together to be interpreted as an individual's autonomy to select a spouse of their own choice.

Waiting on inaction

While the courts have acted, the legislature must criminalise khap panchayats and their diktats. However, data remains scarce; the National Crime Records Bureau (NCRB) only began tracking honour-based violence in 2014, logging 18 cases. As per answers provided by the government in Parliament, 25 such cases were recorded in 2020, 33 in 2021, and 18 in 2022. The Home Ministry noted 145 incidents in 2022.

Without specific legislation, offenders face general charges like kidnapping, intimidation, conspiracy, abetment, attempted murder, and murder, stripping away the casteist intent behind such crimes. The Scheduled Castes and Scheduled Tribes (Prevention of Atrocities) Act, 1989, covers cases where victims are Dalit or Adivasi, but omits any explicit mention of honour-based violence.

Love is not a crime. Until India legally recognises honour-based violence as a distinct crime, the right to choose a life partner remains a hollow and often fatal promise.

Source: https://www.thehindu.com/news/national/kerala/adivasi-dalit-convention-seeks-justice-for-jogi-victims-of-muthanga-violence/article71325506.ece

Adivasi-Dalit convention seeks justice for Jogi, Muthanga violence victims

Adivasi-Dalit convention and Declaration of Rights held at Sulthan Bathery in Wayanad on Sunday. Bommi Amma of Cheeral, the oldest surviving participant in the Muthanga struggle, inaugurated the gathering

Updated - August 10, 2026 12:19 am IST - KOZHIKODE
The Hindu Bureau

As part of intensifying protests demanding a comprehensive inquiry into the death of Yogi (Jogi), who was reportedly killed in police firing during the 2003 Muthanga land agitation and the alleged human rights violations in connection with the stir, an Adivasi-Dalit convention and Declaration of Rights were held at Sulthan Bathery in Wayanad on Sunday (August 9) on the occasion of the International Day of the World's Indigenous Peoples.

The gathering was inaugurated by Bommi Amma of Cheeral, the oldest surviving participant in the Muthanga struggle.

Several people who participated in the land stir shared their experiences at the meeting, organised by the Adivasi Gothra Mahasabha (AGMS) and the Ambedkarite Democratic Front (ADF). In the evening, a cultural procession was taken out through the town under the leadership of the Adi Shakti Summer School, followed by a public meeting at the Municipal Town Hall. It was inaugurated by ADF State working chairperson K. Ambujakshan.

AGMS general secretary P.G. Janardhanan made the Declaration of Rights. The resolution demanded a fair investigation into Jogi's death, implementation of the direction issued by the National Human Rights Commission calling for a comprehensive inquiry into the human rights violations during the Muthanga agitation and adequate compensation for all those affected by the violence.

Sivan Yogi, son of Jogi, and others attended.

The Muthanga land agitation has returned to the limelight after the Kalpetta Principal Sessions Court, on July 31, acquitted all the accused who stood trial, including social activist M. Geethanandan, in the case relating to the murder of police constable K.V. Vinod. However, the court convicted Geethanandan and three others on other charges related to the case and sentenced each to five years of rigorous imprisonment.

Published - August 09, 2026 09:20 pm IST

Source:
https://www.newindianexpress.com/amp/story/states/odisha/2026/Aug/10/odisha-government-orders-safety-audit-of-all-schools-by-august-end

Odisha
Odisha government orders safety audit of all schools by August-end

The government clarified that safety-related activities already completed after the reopening of schools need not be repeated.

Express News Service
Updated:10th Aug, 2026 at 7:47 AM

BHUBANESWAR: The state government has directed all district administrations to ensure structural and non-structural safety audits of schools under their jurisdictions by the end of August.

The directive has been issued as part of the 'School Safety Observation Week - 2026-27' this month, amid concerns over the safety of schoolchildren, especially in heavy rain-affected districts during the ongoing monsoon season.

Issuing a directive to all district collectors, OSEPA state project director Ananya Das said the School Safety Observation Week will be observed in all schools during the current academic year, as part of the observations of the National Human Rights Commission (NHRC). The commission has called upon states and Union Territories to conduct safety audits of schools in accordance with the manual on safety and security in schools and the guidelines for fixing accountability to ensure safety of schoolchildren.

The government clarified that safety-related activities already completed after the reopening of schools need not be repeated. In some districts, structural safety audits have already been undertaken by district administrations with the assistance of technical agencies.

In the rest of the districts, the district education officers (DEOs) will have to ensure that both structural and non-structural safety audits are completed in all eligible schools in accordance with the state government and National Disaster Management Authority (NDMA) guidelines.

During the Safety Week observation, schools will undertake activities including campus cleaning, meetings of School Safety Advisory Committees, preparation of School Safety and Disaster Management Plan, structural and non-structural audit, mock drill, fire and electrical safety checks and obtaining fire safety certificates.

Other measures include safe storage of inflammable and toxic materials, ensuring functional toilets and hand-washing facilities, installation of emergency bells or public-address systems, first-aid box maintenance, health check-ups, parent and community engagement, repair of fencing and toilet doors, and installation of child-friendly latches. Schools will also adopt a School Safety Resolution identifying infrastructure deficiencies and safety

concerns. Issues requiring intervention will be reported to the block education officer (BEO) or DEO for immediate action.

Source: https://www.punjabnewsexpress.com/national/news/nhrc-seeks-report-from-delhi-govt-on-alleged-overcharging-by-app-based-cabs-and-autos-328403

NHRC seeks report from Delhi govt on alleged overcharging by app-based cabs and autos
IANS Aug 9, 2026 - 17:16

NEW DELHI: The National Human Rights Commission (NHRC) has issued a notice to the Delhi government over swirling allegations that the app-based cabs and auto-rickshaws are charging arbitrary and excessive fares from consumers, significantly higher than the fare structure as notified by the Transport Department.
The Delhi Government has been directed to inquire into the allegations and submit a report to the Commission within two weeks.
The Human Rights Commission has sought a factual report on whether app-based cab and auto aggregators are complying with the government-notified fare structure and whether commuters are being subjected to unjustified overcharging.
Speaking to IANS, NHRC member Priyank Kanoongo said: "We received a complaint that app-based auto and cab services, which are commonly used by citizens, are charging fares higher than the prescribed rates."
He mentioned that in every state, rates to be charged by taxis and auto-rickshaws are fixed by the Transport Department according to per kilometre.
"Now if any app-based service is charging more than the prescribed rate, then it is definitely against the rights of citizens. When the government has fixed certain rates, just by being an app-based service they cannot charge more," he added.
Moreover, Kanoongo stated: "We are also sending a notice to the Union Ministry for Consumer Affairs mentioning that all app-based services should charge rates according to those fixed by the authorities of that state or region. More than the prescribed rate is injustice to citizens."
"We are hopeful for a positive report otherwise we will have to take stringent measures," he added.
In the month of May, truck, taxi, and auto-rickshaw drivers in the national capital had held a three-day strike demanding a revision in fares and relief from rising fuel prices and operational expenses.
Drivers participating in the protest had said that despite working for nearly 12 hours a day, they are struggling financially due to stagnant fares and the continuous increase in the prices of diesel, petrol, and CNG.
The strike was called off on the third day following positive discussions and assurances from the Delhi government.

Source: https://www.edexlive.com/amp/story/news/nhrc-notice-to-mp-govt-over-children-hopping-perilously-across-dam-to-reach-school

NHRC notice to MP govt over children 'hopping perilously across dam' to reach school
News

NHRC notice to MP govt over children 'hopping perilously across dam' to reach school

The Commission has observed that the content of the news report, if true, raises serious issues of violation of human rights

PTI
Updated:9th Aug, 2026 at 11:45 AM

New Delhi: The NHRC on Friday said it has issued a notice to the Madhya Pradesh government over reports that many students are risking their lives by "hopping on check dam pillars" for crossing the Betwa River to reach their school in Vidisha district.

They reportedly take this "dangerous route", because it reduces the distance from 13 km by road, to just 1.5 km, the National Human Rights Commission (NHRC) said.

The rights panel in a statement said it has taken suo motu cognisance of a media report about "school students risking their lives by hopping on check dam pillars to cross the Betwa River to reach school in Vidisha district".

The Commission has observed that the content of the news report, if true, raises serious issues of violation of human rights.

The NHRC has noted that Article 21A of the Constitution guarantees free and compulsory education to be provided by the state to children, aged 6 to 14. The Right of Children to Free and Compulsory Education Act, 2009 also makes education a right of every child between the age of 6 and 14 years. Further, the Supreme Court, in Avinash Mehrotra vs Union of India (2009) case, has held that the Right to Education necessarily includes the right to a safe school and safe infrastructure, the NHRC said.

The Commission has held that the absence of a safe mode of transport for children to reach their school "amounts to a negation of their fundamental right to education with dignity".

Accordingly, it has issued a notice to the Madhya Pradesh chief secretary, seeking a detailed report on it in two weeks.

According to the media report, carried on August 4, a video of the children hopping perilously across the wide gaps in the exposed check dam pillars, has gone viral on social media, the statement said.

The villagers reportedly express their inability to drop off their children at a faraway school as they have to work in the fields. The option they have is to either stop sending them or continue this way, the rights panel said.

Reportedly, a student failed her final exams after missing the school, because she could not cross the pillars due to her short height.

The district education officer has visited the spot and informed the district collector about the issue. However, a timeline for the construction of a safe passage to cross the river has not been mentioned, the Commission said.

Zee Business, Online News, 10/08/2026

Source: https://www.zeebiz.com/automobile/news-nhrc-questions-app-based-cab-auto-fares-seeks-report-from-delhi-govt-400170/amp

NHRC questions app-based cab, auto fares, seeks report from Delhi govt
Written By ZeeBiz WebTeam
Published: 4:12 PM, Aug 9, 2026 | Updated:4:12 PM, Aug 9, 2026

The National Human Rights Commission (NHRC) has issued a notice to the Delhi government over allegations that app-based cabs and auto-rickshaws are charging excessive fares from commuters.

The National Human Rights Commission (NHRC) has issued a notice to the Delhi government over allegations that app-based cabs and auto-rickshaws are charging excessive fares from commuters.

The Commission has directed the Delhi government to inquire into the allegations and submit a factual report within two weeks.

NHRC seeks details on fare compliance
The NHRC has asked whether app-based cab and auto aggregators are following the fare rates notified by the Delhi Transport Department.

It also wants to know whether commuters are being subjected to unjustified overcharging.

Speaking to IANS, NHRC member Priyank Kanoongo said the Commission received a complaint about app-based cab and auto services charging fares above the prescribed rates.

He said transport departments fix fares for taxis and auto-rickshaws based on per-kilometre rates.

"If any app-based service is charging more than the prescribed rate, then it is definitely against the rights of citizens," Kanoongo said.

He added that an app-based service cannot charge more simply because it operates through a digital platform.

Notice to Consumer Affairs Ministry
Kanoongo said the NHRC is also sending a notice to the Union Ministry of Consumer Affairs.

He said app-based services should follow the fare rates fixed by the authorities of the concerned state or region.

"More than the prescribed rate is injustice to citizens," he said.

Kanoongo said the Commission hoped to receive a positive report from the Delhi government.

"Otherwise we will have to take stringent measures," he added.

Drivers had gone on strike in May

The NHRC action comes months after truck, taxi and auto-rickshaw drivers in Delhi held a three-day strike in May.

The drivers had demanded a revision in fares. They also sought relief from rising fuel prices and increasing operating costs.

The protesters said they were struggling financially despite working for nearly 12 hours a day.

They cited stagnant fares and rising prices of diesel, petrol and CNG as major reasons for their financial difficulties.

Strike called off after govt assurance

The strike was called off on the third day after discussions between the drivers and the Delhi government.

The government gave assurances to address the concerns raised by the drivers.

Maruti Suzuki plans to launch 7 SUVs over next 5-6 years

On a separate note, Maruti Suzuki India plans to introduce seven SUVs over the next five to six years as the country's largest carmaker looks to strengthen its presence in the segment and prepares for further growth in the domestic passenger vehicle market, said ANI in a report.

In its Annual Integrated Report 2025-26, released by the company, Maruti Suzuki Managing Director and CEO Hisashi Takeuchi said the company has accelerated its capacity expansion plans amid confidence in its medium-term growth prospects.

"Reflecting our confidence in the medium-term outlook, we accelerated our capacity expansion plans. During FY 2026-27, we added 500,000 units of manufacturing capacity. Customer expectations continue to evolve rapidly. The Company has plans to introduce 7 SUVs in the next 5 to 6 years to further strengthen SUV portfolio," Takeuchi said.

The expansion plans come as Maruti Suzuki expects India's passenger car market to grow significantly over the next five years, with the company also seeing prospects for a stronger revival in the small-car segment.

With IANS & ANI Inputs

Source: https://firstbihar.com/amp/bihar/sitamarhi-news/sitamarhi-pinky-kumari-skmch-death-human-rights-complaint-bokhra-police-158006

3 बच्चों की मां को ससुरालवालों ने जिंदा जलाया, इलाज के दौरान पिंकी की मौत, पुलिस पर लापरवाही का आरोप

सीतामढ़ी के बोखड़ा थाना क्षेत्र की पिंकी कुमारी की एसकेएमसीएच, मुजफ्फरपुर में उपचार के दौरान मौत हो गई। परिजनों ने ससुराल पक्ष पर गंभीर आरोप लगाए हैं और पुलिस की कथित लापरवाही को लेकर बिहार व राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में शिकायत दर्ज कराई है।

✍️ Jitendra Vidyarthi
📅 09 अगस्त 2026 को 05:49 pm बजे IST

मुजफ्फरपुर/सीतामढ़ी: सीतामढ़ी जिले के बोखड़ा थाना क्षेत्र की रहने वाली 3 मासूम बच्चों की मां पिंकी कुमारी की मुजफ्फरपुर स्थित श्रीकृष्ण मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल (एसकेएमसीएच) में इलाज के दौरान रविवार की सुबह मौत हो गई। परिजनों का आरोप है कि ससुराल पक्ष ने उन्हें जिंदा जलाने की कोशिश की थी और पूर्व में की गई शिकायतों पर पुलिस ने समय रहते कार्रवाई नहीं की। बोखड़ा थानाध्यक्ष के खिलाफ मानवाधिकार आयोग में शिकायत दर्ज की गयी है।

पीड़ित परिवार ने बोखड़ा थाना के थानाध्यक्ष के खिलाफ बिहार राज्य मानवाधिकार आयोग और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में शिकायत दर्ज कराई है। शिकायत मानवाधिकार मामलों के अधिवक्ता एस.के. झा के माध्यम से दर्ज कराई गई है। परिजनों के अनुसार, पिंकी कुमारी अपने ससुराल पक्ष की कथित प्रताड़ना से परेशान थीं और उन्होंने कई बार बोखड़ा थाना में शिकायत की थी। परिवार का आरोप है कि पुलिस ने ना तो मामले में प्रभावी कार्रवाई की और न ही उन्हें सुरक्षा प्रदान की।

परिजनों का कहना है कि पिछले सप्ताह पिंकी को गंभीर रूप से जला दिया गया, जिसके बाद उन्हें एसकेएमसीएच, मुजफ्फरपुर में भर्ती कराया गया था। बताया गया कि वह लगभग 80 प्रतिशत तक झुलस गई थीं। उपचार के दौरान रविवार सुबह करीब 5 बजे उनकी मौत हो गई।

मृतका अपने पीछे तीन छोटे बच्चों को छोड़ गई हैं। परिजनों ने आरोप लगाया कि यदि पुलिस समय पर कार्रवाई करती तो यह घटना टाली जा सकती थी। उन्होंने यह भी दावा किया कि मामले में अब तक सभी आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हुई है। मानवाधिकार अधिवक्ता एस.के. झा ने कहा कि शिकायत में पुलिस की कथित लापरवाही और पीड़िता को सुरक्षा नहीं दिए जाने के मुद्दे को उठाया गया है। उन्होंने मामले की उच्चस्तरीय जांच की मांग की है। फिलहाल पुलिस की ओर से इस मामले में आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है।

Jitendra Vidyarthi
FirstBihar न्यूज़ डेस्क

Source: https://www.bbc.com/hindi/articles/c4gk4w87p57o.amp

डैम पर छलांग लगाकर स्कूल जाते बच्चों के वायरल वीडियो के बाद क्या बदला - ग्राउंड रिपोर्ट

डैम के पिलर्स पर छलांग लगाते हुए कुछ स्कूली बच्चों का वीडियो हाल में वायरल हुआ, जिसके बाद बीबीसी ने मौक़े पर जाकर हाल जाना

Author,विष्णुकांत तिवारी
पदनाम,बीबीसी संवाददाता........से,विदिशा, मध्यप्रदेश प्रकाशित

9 अगस्त 2026
पढ़ने का समय: 9 मिनट

मध्य प्रदेश के विदिशा ज़िले के एक स्टॉप डैम के पिलर्स को पार करने के लिए जोखिम भरी छलांग लगाते हुए कुछ स्कूली बच्चों का वीडियो पिछले हफ़्ते सोशल मीडिया पर वायरल हुआ.

जिले के पलोह गांव में बने इस डैम को स्कूली बच्चों के जोखिम उठाकर पार करने का वीडियो सामने आने के बाद स्थानीय प्रशासन से लेकर राज्य सरकार और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग तक सक्रिय हो गए. प्रशासन ने स्टॉप डैम पर अब लोहे की रेलिंग लगवा दी है.

साथ ही, गांव में ही नौवीं और दसवीं तक की पढ़ाई शुरू करने की घोषणा हुई है. जिन बच्चों को पहले आगे की पढ़ाई के लिए नदी पार करनी पड़ती थी, उनका दाख़िला पास के बंधेरा गांव के हाई स्कूल में कराने का फ़ैसला भी लिया गया.

लेकिन जब बीबीसी की टीम इस गांव में पहुंची तो ग्रामीणों और विद्यार्थियों ने बताया कि भले ही यह वीडियो एक हफ़्ते पहले वायरल हुआ हो लेकिन यहां के बच्चे पिछले 7-8 सालों से ऐसे ही जान जोखिम में डालकर स्कूल जा रहे थे.

राज्य सरकार को मानवाधिकार आयोग का नोटिस

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने सात जुलाई को इस मामले का स्वतः संज्ञान लेते हुए मध्य प्रदेश सरकार को नोटिस जारी किया है और दो सप्ताह के भीतर विस्तृत रिपोर्ट पेश करने के आदेश दिए हैं.

यह मामला बीते बुधवार को मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के संज्ञान में आ चुका है. हाई कोर्ट ने भी प्रशासन से निरीक्षण रिपोर्ट तलब करते हुए बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए तुरंत जरूरी क़दम उठाने के निर्देश दिए थे.

इन कार्रवाइयों के बीच बीबीसी ने जब मौके पर जाकर बात की तो डैम पार करके स्कूल जाने को मजबूर रहे कई विद्यार्थियों ने अपने अनुभव साझा किए.

स्टॉप डैम के किनारे खड़े 11वीं कक्षा में पढ़ने वाले छात्र देव शर्मा साल भर पुराने अपने स्कूल के दिनों को याद करते हैं जिसके लिए उन्हें नदी के पार जाना पड़ता था.

उन्होंने कहा, "मैंने भी नौवीं और दसवीं की पढ़ाई इसी हाई स्कूल से की है. तब मैं भी इसी डैम के पिलरों पर छलांग लगाकर स्कूल जाता था. करीब चार फीट की छलांग लगानी पड़ती थी."

विदिशा के एसडीएम क्षितिज शर्मा ने बीबीसी से कहा, "इस संबंध में पहले कोई जानकारी नहीं थी. वीडियो आने के बाद बच्चों का दाखिला पास के बंधेरा गांव के हाई स्कूल में कराया गया है."

साथ ही उन्होंने कहा, "स्टॉप डैम पर रेलिंग लगाई गई है ताकि ग्रामीण और बच्चे आवश्यकता पड़ने पर इसे अपेक्षाकृत सुरक्षित तरीके से पार कर सकें."

'कई साल से जान जोख़िम में डालकर हम स्कूल जा रहे हैं'

लेकिन कहानी यहां ख़त्म नहीं हो जाती.

वायरल वीडियो में दिख रहे छात्रों में केशव गुर्जर भी शामिल थे. 10वीं कक्षा में पढ़ रहे केशव डैम से एक किलोमीटर दूर और 11वीं में पढ़ने वाले देव शर्मा के घर के सामने रहते हैं.

जब हमने उनसे पूछा कि क्या वह भी उस वीडियो में थे?

तो उन्होंने कहा, "जी, वीडियो में मैं भी था. मेरे अलावा चार लड़कियां थीं और भी बाकी स्कूल के ही स्टूडेंट थे. हम लोग स्कूल जा रहे थे, तभी किसी ने वीडियो बना लिया."

यह पूछने पर कि आख़िर बच्चे इतने ख़तरनाक रास्ते से क्यों जाते थे? केशव अपने मासूम से चेहरे के साथ बोलते हैं, "मजबूरी है भैया".

केशव ने कहा, "सड़क वाले रास्ते से जाएं तो करीब 15 किलोमीटर जाना पड़ता है और 15 किलोमीटर वापस आना पड़ता है. इतनी दूर साइकिल से जाएंगे तो कैसे पढ़ाई होगी?"

"और अगर साइकिल में दिक़्क़त हो जाए तो और परेशानी होगी. इसलिए हम लोग समय बचाने के लिए डैम वाले रास्ते से जाते थे."

चार किलोमीटर दूर बंधेरा गांव की रहने वाली ऋचा गिरि गोस्वामी बताती हैं कि यह सिर्फ़ उनकी पीढ़ी की कहानी नहीं है.

वह कहती हैं, "हमारे बड़े भाई, बहन और उनसे पहले वाले भी इसी रास्ते से जाते रहे हैं. करीब 10-12 साल से सभी लोग इसी डैम से होकर स्कूल जा रहे थे."

ऋचा कहती हैं, "जिस रास्ते ने पूरे देश का ध्यान एक वायरल वीडियो के जरिए खींचा, हमारे लिए तो वह रोज़मर्रा की ज़िंदगी थी. और हमसे पहले जो पढ़ने गए, उनके लिए भी."

गांव के लोगों का कहना है कि मिडिल स्कूल के बाद सबसे बड़ी समस्या आगे की पढ़ाई की थी.

पलोह में उस समय हाई स्कूल नहीं था. बच्चों को या तो विदिशा शहर जाना पड़ता या फिर बेतवा नदी के उस पार स्थित स्कूल में दाखिला लेना पड़ता.

केशव के पिता तरुवर सिंह गुर्जर बताते हैं कि परिवार ने दूसरा विकल्प क्यों चुना.

वह कहते हैं, "मुख्य समस्या यह थी कि मिडिल स्कूल के बाद आगे की पढ़ाई के लिए बच्चों को विदिशा शहर जाना पड़ता था. वहां जाने के लिए पहले रेलवे लाइन पार करनी पड़ती है और उसके बाद दो हाईवे भी पार करने पड़ते हैं."

वे आगे कहते हैं, "निजी स्कूल में पढ़ाने की हमारी आर्थिक हालत स्थिति नहीं थी. इसलिए हमने बच्चों का दाखिला बेतवा नदी के उस पार पलोह के हाई स्कूल में कराया. यह जानते हुए कि वहां जाने के लिए इस स्टॉप डैम के पिलरों पर छलांग लगाकर नदी पार करनी पड़ती थी."

ग्रामीणों का दावा है कि यह समस्या प्रशासन तक पहले भी पहुंचाई गई थी.

'पहले के सरपंचों ने कुछ नहीं किया, इसलिए मैंने ध्यान नहीं दिया'

छात्र देव शर्मा ने एसडीएम और अन्य अधिकारियों समेत ग्राम सरपंच के सामने कहा, "मैंने सरपंच से कई बार शिक़ायत की थी कि यहां कोई रेलिंग या व्यवस्था कर दी जाए ताकि बच्चों को छलांग न लगानी पड़े. चार-पांच बार शिक़ायत की. मेरे साथ जाने वाले बच्चों ने भी कई बार कहा, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई. हमारी बात को अनदेखा कर दिया गया."

हालांकि, मौजूदा सरपंच पूजा अहिरवार का कहना है कि उन्होंने इस मामले को आगे नहीं बढ़ाया.

वह कहती हैं, "मैंने आगे किसी से नहीं कहा. मुझसे पहले भी सरपंच थे, उन्होंने भी कुछ नहीं किया. इसलिए हमने ज़्यादा आगे कोशिश नहीं की. बारिश के समय तो बच्चे इस रास्ते से जाते भी नहीं थे."

पलोह में वायरल वीडियो के बाद कुछ बदलाव जरूर हुए हैं. लेकिन यह सिर्फ़ एक गांव की कहानी नहीं है.

विदिशा ही नहीं कई और इलाकों में भी हैं ऐसी दिक्कतें

मध्य प्रदेश के अलग-अलग हिस्सों में राज्य के बदहाल शिक्षा व्यवस्था की तस्वीरें सामने आती रही हैं.

विदिशा से करीब 120 किलोमीटर दूर सागर ज़िले के रहली विकासखंड का बेलखेड़ी कलां गांव से भी ऐसी ही एक तस्वीर सामने आई है.

बारिश के दिनों में यहां के बच्चों को स्कूल जाने के लिए नदी पार करनी पड़ती है.

पानी बढ़ने पर बच्चे कपड़े संभालते हुए, एक-दूसरे का हाथ पकड़कर नदी पार करते हैं. गांव के लोगों का कहना है कि यह स्थिति हर मानसून में बनती है.

इस मामले के सामने आने के बाद रहली जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी (सीईओ) रवि पाटीदार ने कहा कि प्रशासन ने मामले को गंभीरता से लिया है.

उन्होंने कहा, "इस संबंध में हमने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं. मौके का निरीक्षण कराया जाएगा और जो भी आवश्यक होगा, उसके आधार पर आगे व्यवस्था की जाएगी."

और सागर से करीब 300 किलोमीटर दूर मंडला ज़िले में तस्वीर थोड़ी अलग है.

मंडला ज़िले की सिंघनपुरी पंचायत में छोटे बच्चों की कक्षाएं पिछले कई वर्षों से गाय के तबेले में लग रही हैं. पक्के स्कूल भवन के अभाव में बच्चे उसी अस्थायी जगह पर पढ़ाई करते हैं.

गांव के सरपंच प्रताप सिंह मरावी बताते हैं कि उन्होंने इस समस्या को लेकर कई बार अधिकारियों से गुहार लगाई.

वह कहते हैं, "मैंने ग्राम पंचायत से लेकर जनसुनवाई तक आवेदन दिए हैं. करीब पांच साल हो गए, लेकिन अभी तक कोई अधिकारी देखने नहीं आया. वहां भवन भी नहीं बना है. मेरा प्रयास यही है कि स्कूल का भवन बने, क्योंकि वहां स्थिति काफ़ी गंभीर है."

मंडला जिला प्रशासन का कहना है कि अब इस मामले में कार्रवाई शुरू हो चुकी है.

मंडला के कलेक्टर राहुल नामदेव धोटे कहते हैं, "यह मामला संज्ञान में आया था. उसके बाद पत्राचार किया गया और शासन ने स्कूल को स्वीकृति भी दे दी है. अब इसके निर्माण की प्रक्रिया शुरू की जा रही है."

कोर्ट तक पहुंचा बदहाली का सवाल

विदिशा, सागर और मंडला तीनों जिलों की समस्याएं अलग-अलग हैं.

कहीं बच्चों को स्कूल पहुंचने के लिए स्टॉप डैम के खंभों पर छलांग लगानी पड़ रही थी. तो कहीं नदी पार करनी पड़ रही है. और कहीं पर स्कूल है ही नहीं, इसलिए तबेले में कक्षाएं चल रही हैं.

ये तस्वीरें ऐसे समय की हैं जब मध्य प्रदेश सरकार के बजट में स्कूल शिक्षा विभाग के लिए 45 हजार करोड़ रुपये से अधिक का प्रावधान है.

सरकार का कहना है कि इस बजट का उद्देश्य शिक्षा तक पहुंच बढ़ाना, स्कूलों के बुनियादी ढांचे को बेहतर बनाना और सीखने के माहौल में सुधार करना है.

लेकिन हाल ही में मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की इंदौर खंडपीठ ने सरकारी स्कूलों की स्थिति को लेकर दायर एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए राज्य और केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया है.

याचिकाकर्ता और अधिवक्ता बी.एल. जैन की ओर से पैरवी कर रहे वकील अभिषेक तुणावत ने अदालत को बताया कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (कैग) की 2025 की रिपोर्ट सरकारी स्कूलों में बुनियादी सुविधाओं की गंभीर कमी की ओर इशारा करती है.

याचिका में रिपोर्ट के हवाले से कहा गया कि राज्य के हजारों सरकारी स्कूल जर्जर इमारतों में चल रहे हैं. बड़ी संख्या में स्कूलों में बिजली और शौचालय जैसी बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं.

वहीं, लगभग 40 प्रतिशत यानी एक लाख 15 हजार से अधिक शिक्षकों के पद खाली हैं.

Source: https://www.prabhatkhabar.com/state/jharkhand/chaibasa/gudri-bazar-arson-case-action-report/amp

2017 की आग में राख हुई 56 दुकानें, अब जगी न्याय की उम्मीद...
Author: शीन अनवर |Edited by: साहिल अस्थाना
Updated: Sun, 9 Aug 2026 01:45 PM (IST)

गुदड़ी बाजार आगजनी मामले में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने मांगी रिपोर्ट। 56 प्रभावित दुकानदारों को अब मुआवजे और न्याय की नई उम्मीद जगी है।

चक्रधरपुर | करीब नौ वर्षों से न्याय और मुआवजे की लड़ाई लड़ रहे गुदड़ी बाजार आगजनी मामले में अब एक महत्वपूर्ण मोड़ आ गया है. राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए झारखंड ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड के अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक से कार्रवाई की रिपोर्ट तलब की है. आयोग की कार्रवाई से 2017 में आगजनी से प्रभावित 56 दुकानदारों के बीच न्याय की नई उम्मीद जगी है.

2017 में आग लगने से 56 दुकानों में रखा सामान जलकर हो गया था राख
जानकारी के अनुसार, 19 जून 2017 को चक्रधरपुर के गुदड़ी बाजार में भीषण आग लगने से 56 दुकानों में रखा सामान जलकर राख हो गया था. इस हादसे में अनेक परिवारों की वर्षों की जमा-पूंजी और आजीविका पूरी तरह समाप्त हो गई थी. प्रभावित दुकानदार लंबे समय से उचित मुआवजा, राहत और जिम्मेदार विभागों के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे थे. इसको लेकर मानवाधिकार कार्यकर्ता बैरम खान लगातार सक्रिय रहे. उन्होंने विभिन्न प्रशासनिक और कानूनी मंचों पर शिकायतें दर्ज कराते हुए पीड़ित दुकानदारों की आवाज उठाई. लगभग नौ वर्षों तक लगातार पत्राचार, आवेदन, अनुस्मारक और मानवाधिकार मंचों पर पैरवी के बाद अब इस संघर्ष का बड़ा परिणाम सामने आया है.

चार सफ्ताह के अंदर एक्शन टेकेन रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश
राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने 06 अगस्त 2026 को मामले में एक्शन नंबर. 2 के तहत आदेश जारी किया. आयोग ने शिकायत में लगाए गए आरोपों की जांच करने और चार सप्ताह के भीतर एक्शन टेकेन रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है. आयोग ने यह स्पष्ट किया है कि शिकायत में वर्णित तथ्यों और विभागीय जिम्मेदारियों की गंभीरता से जांच की जाए. बैरम खान ने आयोग की कार्रवाई का स्वागत करते हुए कहा - यह केवल उनकी व्यक्तिगत जीत नहीं, बल्कि उन 56 परिवारों के संघर्ष की आंशिक सफलता है, जो वर्षों से न्याय की प्रतीक्षा कर रहे हैं. उन्होंने कहा कि आगजनी के बाद कई दुकानदार आर्थिक रूप से टूट गए, कुछ को कर्ज लेना पड़ा और कई परिवारों की आजीविका लंबे समय तक प्रभावित रही. यदि समय पर राहत और मुआवजा मिलता, तो प्रभावित परिवारों को इतनी कठिन परिस्थितियों का सामना नहीं करना पड़ता.

दुकानदारों ने जताया संतोष
प्रभावित दुकानदारों ने भी इस पहल पर संतोष जताया है. उनका कहना है कि पहली बार किसी राष्ट्रीय स्तर की संवैधानिक संस्था ने मामले को गंभीरता से लेते हुए संबंधित विभाग से जवाब मांगा है. दुकानदारों को उम्मीद है कि जांच के बाद उन्हें उचित मुआवजा, पुनर्वास और राहत उपलब्ध कराई जाएगी. स्थानीय सामाजिक संगठनों और नागरिकों ने भी मांग की है कि जिला प्रशासन और संबंधित विभाग आयोग के निर्देशों का पालन करते हुए निष्पक्ष जांच सुनिश्चित करें. साथ ही यह भी जांच हो कि आग लगने के कारण क्या थे, क्या विद्युत व्यवस्था में कोई लापरवाही थी, और प्रभावित लोगों को तत्काल राहत क्यों नहीं मिल सकी.

Dainik Bhaskar, Online News, 10/08/2026

Source: https://www.bhaskarhindi.com/other/nhrc-ka-delhi-sarkar-ko-notice-app-cab-auto-mein-manmana-kiraya-ko-lekar-2-hafte-mein-maangi-report-show-more-lines-1341665

एनएचआरसी का दिल्ली सरकार को नोटिस, ऐप आधारित कैब-ऑटो में मनमाने किराये को लेकर 2 हफ्ते में मांगी रिपोर्ट
9 Aug 2026 11:10 AM

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) ने दिल्ली में ऐप आधारित कैब और ऑटो-रिक्शा द्वारा मनमाने और ज्यादा किराया वसूलने की शिकायत पर संज्ञान लिया है। आयोग ने दिल्ली सरकार को नोटिस जारी कर दो हफ्ते में रिपोर्ट मांगी है।

नई दिल्ली, 9 अगस्त (आईएएनएस)। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) ने दिल्ली में ऐप आधारित कैब और ऑटो-रिक्शा द्वारा मनमाने और ज्यादा किराया वसूलने की शिकायत पर संज्ञान लिया है। आयोग ने दिल्ली सरकार को नोटिस जारी कर दो हफ्ते में रिपोर्ट मांगी है। एनएचआरसी के सदस्य प्रियांक कानूनगो की अध्यक्षता वाली बेंच ने दिल्ली सरकार के परिवहन विभाग को यह निर्देश दिया है। आयोग ने कहा है कि शिकायत में लगाए गए आरोप गंभीर हैं और इनकी जांच जरूरी है। आयोग के पास 29 जुलाई को एक शिकायत मिली थी। इसे 4 अगस्त को आयोग के सामने रखा गया। शिकायत में कहा गया कि दिल्ली में चलने वाले ऐप आधारित ऑटो और कैब कंपनियां सरकार द्वारा तय किराए से कहीं ज्यादा पैसा ले रही हैं। शिकायतकर्ता का आरोप है कि ये कंपनियां बिना पारदर्शिता के सर्ज प्राइसिंग, प्लेटफॉर्म फीस, डिमांड चार्ज और अन्य तरह के शुल्क जोड़ देती हैं। वहीं ऑटो-रिक्शा चालक अनिवार्य मीटर का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। शिकायत में यह भी कहा गया कि नियमों को लागू न किए जाने के कारण आम लोगों का शोषण हो रहा है। इसका सबसे ज्यादा असर आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग पर पड़ रहा है। शिकायतकर्ता ने मांग की है कि सरकार के तय किराए का पालन हो, मीटर का सही इस्तेमाल हो, किराये की गणना में पारदर्शिता आए और यात्रियों के अधिकारों की रक्षा की जाए। एनएचआरसी ने माना कि शिकायत में उठाए गए मुद्दे प्रथमदृष्टया पीड़ितों के मानवाधिकारों का उल्लंघन लगते हैं। मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 की धारा 12 के तहत आयोग ने इस मामले में संज्ञान लिया है। इसी अधिनियम की धारा 13 के तहत आयोग को सिविल कोर्ट जैसी जांच की शक्तियां प्राप्त हैं। आयोग ने परिवहन विभाग के सचिव-सह-आयुक्त को पत्र लिखकर निर्देश दिया है कि शिकायत में लगाए गए आरोपों की जांच कराई जाए और दो हफ्ते के भीतर 'एक्शन टेकन रिपोर्ट' आयोग को सौंपी जाए।

Source: https://www.khaskhabar.com/local/delhi-ncr/delhi-news/news-nhrc-issues-notice-to-delhi-government-seeks-report-within-two-weeks-regarding-arbitrary-fares-in-app-based-cabs-and-autos-news-hindi-1-835177-KKN.html

Hindi News » Delhi NCR » Delhi » NHRC issues notice to Delhi government; seeks report within two weeks regarding arbitrary fares in app-based cabs and autos

NHRC का दिल्ली सरकार को नोटिस, ऐप आधारित कैब-ऑटो में मनमाने किराये को लेकर 2 हफ्ते में मांगी रिपोर्ट
khaskhabar.com: रविवार, 09 अगस्त 2026 11:17 AM

नई दिल्ली । राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) ने दिल्ली में ऐप आधारित कैब और ऑटो-रिक्शा द्वारा मनमाने और ज्यादा किराया वसूलने की शिकायत पर संज्ञान लिया है। आयोग ने दिल्ली सरकार को नोटिस जारी कर दो हफ्ते में रिपोर्ट मांगी है। एनएचआरसी के सदस्य प्रियांक कानूनगो की अध्यक्षता वाली बेंच ने दिल्ली सरकार के परिवहन विभाग को यह निर्देश दिया है। आयोग ने कहा है कि शिकायत में लगाए गए आरोप गंभीर हैं और इनकी जांच जरूरी है। आयोग के पास 29 जुलाई को एक शिकायत मिली थी। इसे 4 अगस्त को आयोग के सामने रखा गया। शिकायत में कहा गया कि दिल्ली में चलने वाले ऐप आधारित ऑटो और कैब कंपनियां सरकार द्वारा तय किराए से कहीं ज्यादा पैसा ले रही हैं।
शिकायतकर्ता का आरोप है कि ये कंपनियां बिना पारदर्शिता के सर्ज प्राइसिंग, प्लेटफॉर्म फीस, डिमांड चार्ज और अन्य तरह के शुल्क जोड़ देती हैं। वहीं ऑटो-रिक्शा चालक अनिवार्य मीटर का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं।
शिकायत में यह भी कहा गया कि नियमों को लागू न किए जाने के कारण आम लोगों का शोषण हो रहा है। इसका सबसे ज्यादा असर आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग पर पड़ रहा है। शिकायतकर्ता ने मांग की है कि सरकार के तय किराए का पालन हो, मीटर का सही इस्तेमाल हो, किराये की गणना में पारदर्शिता आए और यात्रियों के अधिकारों की रक्षा की जाए।
एनएचआरसी ने माना कि शिकायत में उठाए गए मुद्दे प्रथमदृष्टया पीड़ितों के मानवाधिकारों का उल्लंघन लगते हैं। मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 की धारा 12 के तहत आयोग ने इस मामले में संज्ञान लिया है। इसी अधिनियम की धारा 13 के तहत आयोग को सिविल कोर्ट जैसी जांच की शक्तियां प्राप्त हैं।
आयोग ने परिवहन विभाग के सचिव-सह-आयुक्त को पत्र लिखकर निर्देश दिया है कि शिकायत में लगाए गए आरोपों की जांच कराई जाए और दो हफ्ते के भीतर 'एक्शन टेकन रिपोर्ट' आयोग को सौंपी जाए।
--आईएएनएस

Source: https://www.deshbandhu.co.in/amp/national/nhrc-notice-delhi-govt-app-based-cab-auto-surge-pricing-arbitrary-fares-report-314670

ऐप आधारित कैब व ऑटो के मनमाने किराये पर NHRC सख्त! दिल्ली सरकार को नोटिस जारी कर 2 हफ्ते में मांगी रिपोर्ट

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) ने दिल्ली में ऐप आधारित कैब और ऑटो-रिक्शा द्वारा मनमाने और ज्यादा किराया वसूलने की शिकायत पर संज्ञान लिया है। आयोग ने दिल्ली सरकार को नोटिस जारी कर दो हफ्ते में रिपोर्ट मांगी है।;

By : Deshbandhu Desk
Update: 2026-08-09 07:15 GMT

नई दिल्ली। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) ने दिल्ली में ऐप आधारित कैब और ऑटो-रिक्शा द्वारा मनमाने और ज्यादा किराया वसूलने की शिकायत पर संज्ञान लिया है। आयोग ने दिल्ली सरकार को नोटिस जारी कर दो हफ्ते में रिपोर्ट मांगी है।

एनएचआरसी के सदस्य प्रियांक कानूनगो की अध्यक्षता वाली बेंच ने दिल्ली सरकार के परिवहन विभाग को यह निर्देश दिया है। आयोग ने कहा है कि शिकायत में लगाए गए आरोप गंभीर हैं और इनकी जांच जरूरी है।

आयोग के पास 29 जुलाई को एक शिकायत मिली थी। इसे 4 अगस्त को आयोग के सामने रखा गया। शिकायत में कहा गया कि दिल्ली में चलने वाले ऐप आधारित ऑटो और कैब कंपनियां सरकार द्वारा तय किराए से कहीं ज्यादा पैसा ले रही हैं।

शिकायतकर्ता का आरोप है कि ये कंपनियां बिना पारदर्शिता के सर्ज प्राइसिंग, प्लेटफॉर्म फीस, डिमांड चार्ज और अन्य तरह के शुल्क जोड़ देती हैं। वहीं ऑटो-रिक्शा चालक अनिवार्य मीटर का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं।

शिकायत में यह भी कहा गया कि नियमों को लागू न किए जाने के कारण आम लोगों का शोषण हो रहा है। इसका सबसे ज्यादा असर आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग पर पड़ रहा है। शिकायतकर्ता ने मांग की है कि सरकार के तय किराए का पालन हो, मीटर का सही इस्तेमाल हो, किराये की गणना में पारदर्शिता आए और यात्रियों के अधिकारों की रक्षा की जाए।

एनएचआरसी ने माना कि शिकायत में उठाए गए मुद्दे प्रथमदृष्टया पीड़ितों के मानवाधिकारों का उल्लंघन लगते हैं। मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 की धारा 12 के तहत आयोग ने इस मामले में संज्ञान लिया है। इसी अधिनियम की धारा 13 के तहत आयोग को सिविल कोर्ट जैसी जांच की शक्तियां प्राप्त हैं।

आयोग ने परिवहन विभाग के सचिव-सह-आयुक्त को पत्र लिखकर निर्देश दिया है कि शिकायत में लगाए गए आरोपों की जांच कराई जाए और दो हफ्ते के भीतर 'एक्शन टेकन रिपोर्ट' आयोग को सौंपी जाए।

Source: https://www.zeebiz.com/hindi/auto/delhi-app-based-ola-uber-type-cab-auto-surge-fare-hike-nhrc-action-notice-government-report-261576

दिल्ली में ऐप बेस्ड कैब-ऑटो की 'लूट' पर NHRC का एक्शन, मनमाने किराए को लेकर सरकार को नोटिस, 2 हफ्ते में मांगी रिपोर्ट
Written By ऐश्वर्य अवस्थी , Published: 10:43 AM, Aug 9, 2026 | Updated: 10:49 AM, Aug 9, 2026

दिल्ली में ऐप-बेस्ड कैब और ऑटो के बढ़ते किराए और मनमानी पर नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन (NHRC) ने बड़ा कदम उठाया है. कमीशन ने यात्रियों से वसूले जा रहे एक्स्ट्रा चार्ज और सर्ज प्राइसिंग को लेकर दिल्ली सरकार को नोटिस जारी कर जांच के आदेश दिए हैं. असल में अब सरकार को 2 हफ्ते में पूरी रिपोर्ट सौंपनी होगी.

दिल्ली में रहने वाले उन लाखों लोगों के लिए एक बड़ी खबर है जो रोजाना ऐप-बेस्ड कैब या ऑटो (जैसे ओला-उबर) का यूज करते हैं. पिछले काफी टाइम से मिल रही शिकायतों के बाद, अब राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) ने इन कंपनियों की मनमानी पर कड़ा रुख अपनाया है. अब NHRC ने दिल्ली सरकार के परिवहन विभाग को नोटिस जारी कर पूछा गया है कि आखिर सरकारी रूल्स को ताक पर रखकर यात्रियों से ज्यादा किराया क्यों वसूला जा रहा है?

क्या है मामला?
दरअसल, आयोग के पास कुछ समय पहले एक शिकायत पहुंची थी जिसमें आरोप लगाया गया है कि ऐप-बेस्ड कैब और ऑटो एग्रीगेटर्स सरकार द्वारा तय किए गए रेट्स से कहीं ज्यादा पैसा वसूल रहे हैं. यात्रियों पर सर्ज प्राइसिंग, प्लेटफॉर्म फीस और डिमांड चार्ज जैसे कई एक्स्ट्रा चार्ज थोपे जा रहे हैं, जिसकी कोई पारदर्शिता नहीं है.

असल में आरोप यह भी है कि ये कंपनियां बिना किसी साफ जानकारी के सर्ज प्राइसिंग, प्लेटफॉर्म फीस और डिमांड चार्ज जैसे नाम पर एक्स्ट्रा पैसे वसूल लेती हैं. साथ ही ऑटो चालकों पर भी आरोप लगा कि वे सरकारी फेयर मीटर का इस्तेमाल ही नहीं करते, जिससे तय किराया व्यवस्था पूरी तरह बेअसर हो जाती है.

आयोग का सख्त निर्देश और सरकार को नोटिस
इसी तो देखते हुए अब राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) ने मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 की धारा 12 के तहत दिल्ली में ऐप-बेस्ड कैब और ऑटो की मनमानी पर कड़ा संज्ञान लिया है.आयोग के माननीय सदस्य श्री प्रियांक कानूनगो की अध्यक्षता वाली बेंच ने दिल्ली सरकार के परिवहन विभाग को नोटिस जारी करते हुए साफ कर दिया है कि यात्रियों से सरकार द्वारा तय दरों से अधिक किराया वसूलना सीधे तौर पर उनके अधिकारों का उल्लंघन है.

शिकायत के अनुसार, ये कंपनियां बिना किसी पारदर्शिता के सर्ज प्राइसिंग, प्लेटफॉर्म फीस और अनावश्यक डिमांड चार्ज लगाकर आम जनता, खासकर आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग का शोषण कर रही हैं.साथ ही, ऑटो ड्राइवरों द्वारा फेयर मीटर का इस्तेमाल न करना भी सरकारी रूल्स की खुली अवहेलना है. तो इसे देखते हुए आयोग ने परिवहन सचिव को पूरे मामले की गहन जांच करने का निर्देश दिया है और दो हफ्ते के भीतर 'एक्शन टेकन रिपोर्ट' (ATR) तलब की है, ताकि रेगुलेटरी नियमों का सख्ती से पालन और यात्रियों के अधिकारों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके.

दो हफ्ते का मिला समय
हालांकि सबसे अहम बात यह है कि आयोग ने इसके लिए लाइमलाइन भी तय कर दी है. दिल्ली सरकार को नोटिस मिलने की तारीख से दो हफ्ते के भीतर पूरी जांच करके एक्शन टेकन रिपोर्ट NHRC को सौंपनी होगी. इस रिपोर्ट की एक कॉपी ईमेल के जरिए भी आयोग को भेजने के आदेश दिए गए हैं.

आपके काम की बात
कुल मिलाकर, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन (NHRC) का यह सख्त रुख दिल्ली के उन लाखों यात्रियों के लिए बड़ी उम्मीद लेकर आया है, जो हर दिन कैब और ऑटो की मनमानी झेलते हैं. ऐप-बेस्ड सेवाओं के नाम पर वसूले जाने वाले मनमाने चार्जेस और सर्ज प्राइसिंग ने लंबे टाइम से लोगों के बजट को बिगाड़ रखा था.

तो अब जबकि आयोग ने खुद हस्तक्षेप किया है और दिल्ली सरकार से दो हफ्ते के भीतर जवाब मांगा है, तो यह माना जा सकता है कि आने वाले दिनों में

परिवहन विभाग इन कंपनियों पर लगाम कसने के लिए कोई ठोस कदम उठाएगा. अगर सरकार की रिपोर्ट और जांच सही दिशा में रहती है, तो जल्द ही दिल्ली वालों को मनचाहे किराए और लूट-खसोट से राहत मिल सकती है.

Dainik Bhaskar, Online News, 10/08/2026

Source: **https://www.bhaskar.com/local/jharkhand/chaibasa/chakradharpur/news/nhrc-takes-major-step-in-guddi-bazaar-arson-case-seeks-report-from-juvnl-cmd-within-4-weeks-dbp-138681100.html**

Hindi NewsLocalJharkhandChaibasaChakradharpurNHRC Takes Major Step In Guddi Bazaar Arson Case, Seeks Report From JUVNL CMD Within 4 Weeks

गुदड़ी बाजार आगजनी मामले में एनएचआरसी का बड़ा कदम, जेयूवीएनएल सीएमडी से 4 सप्ताह में मांगी रिपोर्ट
चक्रधरपुर 2 घंटे पहले

चक्रधरपुर के गुदड़ी बाजार में 19 जून 2017 को हुई भीषण आगजनी से प्रभावित 56 दुकानदारों को मुआवजा एवं राहत नहीं मिलने का मामला करीब नौ साल बाद एक बार फिर निर्णायक चरण में पहुंच गया है।

मानवाधिकार कार्यकर्ता बैरम खान की शिकायत पर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने 6 अगस्त 2026 को कार्रवाई करते हुए झारखंड ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड के अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक से चार सप्ताह के भीतर एक्शन टेकन रिपोर्ट मांगी है। एनएचआरसी के आदेश में दर्ज है कि आगजनी में 56 दुकानदारों की दुकानें जल गई थीं। वर्ष 2023 में जिला प्रशासन से मांगी गई रिपोर्ट में घटना को प्राकृतिक आपदा की श्रेणी में नहीं माना गया था। रिपोर्ट में एसडीआरएफ के तहत मुआवजा नहीं दिए जाने की बात कही गई थी।

रिपोर्ट में ऊर्जा विभाग से आवश्यक कार्रवाई का भी उल्लेख था। आयोग के रिकॉर्ड के अनुसार, ऊर्जा विभाग ने 31 मई 2018 को पत्र संख्या 1283 के माध्यम से जेयूवीएनएल के सीएमडी को उचित कार्रवाई के निर्देश दिए थे। उस समय आगजनी को शॉर्ट सर्किट से संबंधित बताया गया था। बैरम खान ने कहा कि प्रभावित दुकानदारों को न्याय और मुआवजा दिलाने के लिए वर्ष 2017 से लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि 56 दुकानदारों की वर्तमान स्थिति, आग के वास्तविक कारण, पूर्व जांच की निष्पक्ष समीक्षा जरूरी है।